उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या: 26/ 2019/1675 /सत्रह-म-2019-6-9(85)/2017

लखनऊ: दिनांक : 05 दिसम्बर,2019

अधिसूचना

चूँकि अधिसूचना संख्या-1408/ सत्रह-म-2019-6-9(85)/2017, दिनॉक 24 अक्टूबर, 2019, संयुक्त प्रान्त मत्स्य अधिनियम,1948 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 45 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 के संबंध में आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त मत्स्य अधिनियम, 1948 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 45 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली, 1954 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियत्रंण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियत्रंण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी;

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी;

नियम 1- क का बढाया जाना

2- उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली,1954, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है,में नियम-1 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात:-

परिभाषाएं

1-क जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क)''मत्स्य पालक / मछुआरा / मछुआ'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सक्रिय रूप से मछली उत्पादन एवं विक्रय और साथ ही साथ तत्सम्बन्धी क्रियाकलापों से जीविकोपार्जन करता हो;

(ख) ''मत्स्य जीवी सहकारी समिति'' का तात्पर्य ऐसी सहमति से है जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबंधक, मत्स्य द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो;

(ग) ''मत्स्य पालक का परिवार'' का तात्पर्य उसकी पत्नी/पति, पुत्र (21 वर्ष की आयु तक), अविवाहित पुत्री, गोद ली गयी संतान,उस पर आश्रित माता-पिता, पुत्र की अवयस्क संतान, विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उस पर आश्रित हो, से है;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(घ) ''मछुआ आवास'' का तात्पर्य केन्द्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियत मानक और क्षेत्रफल के अनुसार आवासहीन मत्स्य पालक (मछुआरा) के लिए निर्मित किये गये आवास से है;

(ङ) ''मत्स्य पालक (मछुआरा) दुर्घटना'' का तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा विहित किसी नियमावली के अधीन आच्छादित होने वाली किसी दुर्घटना में मत्स्य पालक/मछुआरा की मृत्यु, स्थायी या आंशिक अपंगता से है;

(च) ''दैवीय आपदाओं'' का तात्पर्य बाढ, सूखा, ओलावृष्टि, जलप्रलय/जलप्लावन (अतिवृष्टि), आग लगने और उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य दैवीय आपदाओं से है;

(छ) ''गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार'' का तात्पर्य गरीबी रेखा के नीचे, केन्द्र सरकार /राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये न्यूनतम आय से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से है;

(ज) ''हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण'' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0आई0एस0सी0ई0 अथवा केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र से है;

(झ) '' विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से है;

(ञ) '' कोष संचालन समिति'' का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 5 के अधीन गठित समिति से है;

(ट) ''कोष से सम्बंधित धनराशि'' का तात्पर्य केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के कल्याण हेतु उपबन्धित /स्वीकृत की गयी धनराशि और साथ ही साथ ब्याज तथा लाभांश से उपार्जित धनराशि से है।

नियम-5 का बढाया जाना

3- उक्त नियमावली में नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात:-

5 उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष

(1) उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष का उददेश्य मत्स्य पालकों के लिए और मत्स्य पालकों के कल्याण तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

(2) उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष, उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों के मत्स्य पालकों और मछुआरों के लिए संचालित होगा। इसके उददेश्यों की पूर्ति हेतु कार्यो का सम्पादन, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ

http://shasnadesh.up.nic.com

लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। इस कोष का मुख्यालय मत्स्य निदेशालय, 7- फैजाबाद रोड, बाबूगंज, लखनऊ में होगा;

(3) इस कोष से सहायता निम्नलिखित मदों हेतु प्रदान की जाएगी:-

(क) मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है;

(ख) दैवीय आपदाओं से हुई किसी क्षति की स्थिति में मत्स्य पालक/ मछुआरा परिवार को वित्तीय सहायता का उपबंध कराना;

(ग) वैवाहिक सहायता;

(घ) शिक्षा हेतु सहायता (कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि);

(ङ) चिकित्सा सहायता;

(च) वृद्धावस्था सहायता;

(छ) केन्द्र सरकार से इतर उनके द्वारा नियत मानकों पर मछुआ आवास निर्माण सहायता;

(ज) उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान करने, अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास, प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों/ मछुआरों के प्रशिक्षण/ भ्रमण पर कुल कोष का दो प्रतिशत तक व्यय;

(झ) मत्स्य पालक/ मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करना;

(ञ) मछली पकडने के जाल/ उपकरणों की सुविधा की व्यवस्था करना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बाक्स आदि उपलब्ध कराना;

(ट) मत्स्य सम्बन्धी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण/ मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता की दरें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसार होंगी;

(ठ) जल जीव पालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु विद्युत पर राज्य- सहायता;

केन्द्र सरकार /राज्य सरकार द्वारा विहित मानक के परे कोई अतिरिक्त धनराशि उपबन्धित नहीं की जायेगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना का निष्पादन, लोक निर्माण विभाग के दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा।

(4) इस कोष के वित्तीय स्रोत निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य सरकार से प्राप्त विभागीय बजट और केन्द्र सरकार या किसी अन्य संगठन या निकाय से प्राप्त वित्तीय सहायता;

(ख) केन्द्र /राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों व समस्त राष्ट्रीयकृत बैंको से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदान कोष;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(ग) कोष पर प्राप्त ब्याज /लाभांश/ बोनस की धनराशि;

(घ) पूर्त /दान के माध्यम से प्राप्त धनराशि;

(ङ) राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के अधीन प्राप्त निधि/ धनराशि;

(5) उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष की व्यवस्था और उसका संचालन, प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। प्रबन्ध समिति निम्नवत् होगी:-

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त	- अध्यक्ष
(ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मत्स्य	- उपाध्यक्ष
(ग) निदेशक, मत्स्य	- सदस्य सचिव
(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी	- सदस्य
(ड) लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण विभाग का मुख्य अभियन्ता या अधिशाषी अभियन्ता	- सदस्य
(च) प्रबन्ध निदशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, लिमिटेड, लख्नऊ।	- सदस्य
(छ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ, लखनऊ	-सदस्य
(ज) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय	सदस्य एवं कोषाध्यक्ष

(6) प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों पर विनिश्चय करेगी:-

(क) कल्याण कोष से मदवार वित्तीय सहायता की धनराशि का अवधारण;

(ख) ऐसे वार्षिक क्रियाकलाप, जो संचालित किये जायेंगे;

(ग) लाभार्थियों की पात्रता और उनके नामों का अनुमोदन;

(घ) मत्स्य पालकों/ मछुओं के कल्याण हेतु नये कार्यक्रमों पर इस कोष से राहत/सहायता का अनुमोदन;

(ङ) कोष की विनिधान धनराशि पर विनिश्चय;

(च) कोष की सहायता से संचालित कार्यक्रमों का मानकीकरण;

(छ) केन्द्र / राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से इस कोष की सहायता हेतु सामन्जस्य स्थापित किये जाने पर विनिश्चय;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ज) कोष से अर्जित ब्याज से कोष के प्रचार -प्रसार और उसके विस्तार हेतु व्यय पर विनिश्चय ।

(7) बैठक की गणपूर्ति, प्रबंध समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त पचास प्रतिशत सदस्यों से होगी। प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार संचालित की जायेगी। विशिष्ट परिस्थितियों में उसे किसी भी समय संचालित किया जायेगा। बैठक की नोटिस की अवधि सात दिन की होगी, जबकि आकस्मिक स्थिति में नोटिस की अवधि तीन दिन होगी;

(8) प्रबंध समिति के अध्यक्ष को कोष के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आपात स्थिति में वित्तीय सहायता घोषित करके राहत-धनराशि अवमुक्त करने की शक्ति होगी और जिसका अनुमोदन प्रबंध समिति की अगली बैठक में प्राप्त किया जाएगा। राज्य सरकार को किसी क्रियाकलाप के लिए इस कोष से प्राप्त सहायता की धनराशि को दोगुना करने की शक्ति होगी;

(9) विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग की अध्यक्षता की उपसमिति में निम्नलिखित होंगे:-

(1) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव /सचिव, मत्स्य	- अध्यक्ष
(2) निदेशक, मत्स्य	- सदस्य सचिव
(3) संयुक्त निदेशक, मत्स्य	- सदस्य
(4) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय	- सदस्य

(10) उपसमिति की बैठक, आपात स्थिति में किसी भी समय आहूत की जा सकती है किन्तु उक्त समिति द्वारा किये गये विनिश्चय पर प्रबंध समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है;

(11) प्रबन्ध समिति एवं उपसमिति द्वारा प्रदत्त धनराशि की अनुमोदित सीमा तक, विभागाध्यक्ष को वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड 1 के अनुसार प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन और समय-समय पर जारी राज्य के शासनादेशों द्वारा यथा उपबंधित वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति, निदेशक मत्स्य में निहित होगी तथा उस सीमा से परे समस्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने की शक्ति उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग में निहित होगी;

(12) कोई मत्स्य पालक / मछुआ, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की केवल एक योजना से एक बार राहत प्राप्त कर सकेगा;

http://shasnadesh.up.nic.com

(13) पूर्वोक्त कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनपत्र, जिला मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनपत्र का सत्यापन करने के पश्चात विभाग में आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर मत्स्य विभाग द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी। लाभार्थियों के पात्रता के मापदण्ड, समय-समय पर राजस्व विभाग / पिछडा वर्ग कल्याण विभाग / समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और केन्द्र सरकार की नीली क्रान्ति एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबन्धन योजना के अधीन नियत विहित पात्रता की शर्तों के अनुसार लागू होंगे;

(14) यदि राज्य सरकार यह पाती है कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को छिपाकर या कपटपूर्वक सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भॉति सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार की जायेगी;

(15) कोष का लेखा, नियमित रूप से अनुरक्षित किया जायेगा और उसका लेखा-परीक्षा, विभाग और महालेखा-परीक्षक द्वारा की जायेगी;

(16) आगामी कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ होने के छः माह के अन्तर्गत राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के अधीन और साथ ही साथ योजनावार वित्तीय सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या की सूची और लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे;

(17) खाते, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अनुज्ञा की अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक / डाकघर में खोले जायेंगे। खाता का संचालन, निदेशक, मत्स्य और वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। आपात स्थिति में तात्कालिक राहत प्रदान करने के लिए खोले गये खाता में एक करोड रूपये जमा रहेगा। अन्य स्रोतों से प्राप्त जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज का उपयोग, प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् कोष के क्रियकलापों के लिए किया जायेगा;

(18) प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की पच्चीस प्रतिशत धनराशि, '' रक्षित निधि'' के बैंक / डाकघर के खाते में जमा की जायेगी ताकि भविष्य में सरकारी अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में कोष के क्रियाकलाप, उसके ब्याज से संचालित किये जा सकें;

(19) कोष की वित्तीय शक्ति, निदेशक, मत्स्य में निहित होगी;

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(20) कोष के समुचित अनुरक्षण के लिए मत्स्य निदेशालय में एक इकाई स्थापित की जायेगी और कर्मचारियों / कर्मचारिवृंद की तैनाती, निदेशक, मत्स्य द्वारा की जायेगी जो अपने कार्यों के साथ ही साथ इकाई के कार्यों का भी सम्पादन करेंगे। इकाई में निम्नलिखित कार्मिक तैनात किये जायेंगे:-

(क) उप निदेशक मत्स्य,	- 01
(ख) सहायक निदेशक, मत्स्य, निदेशालय	- 01
(ग) सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय	-01
(घ) अपर सांख्यिकीय अधिकारी, निदेशालय	-01
(ङ) मत्स्य निरीक्षक अथवा मत्स्य विकास अधिकारी	-01
(च) वरिष्ठ सहायक	-01
(छ) कनिष्ठ सहायक	-01
(ज) कम्प्यूटर आपरेटर	-01

(21) सेवा प्रदाता की ओर से नियोजित संविदा कर्मचारियों के वेतन / मानदेय का भुगतान, जमा कोष से प्राप्त ब्याज से किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सख्या-26/2019/ 1675 (1)/ सत्रह-म-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशाबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉ मत्स्य उत्पादन अनुभाग, हाल संख्या-42 तृतीय तल बहुखण्डी भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एस0एम0ए0रिजवी)
विशेष सचिव।

सख्या- 26/2019/ 1675(2)/ सत्रह-म-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,(विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियॉ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

सख्या- 26/2019/ 1675 (2)/ सत्रह-म-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सचिव,मत्स्य विभाग,मत्स्य,पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय,भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-न्याय/वित्त/कार्मिक/समाज कल्याण/पिछडा वर्ग कल्याण विभाग/लोक निर्माण/ राजस्व विभाग/ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु भिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।

11- संयुक्त निदेशक मत्स्य,मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

12- समस्त उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।

13- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

14- विधायी अनुभाग-1

15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

Uttar Pradesh Shasan

Matsya Utpadan Anubhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 26/2019/ 1675/ XVII-MA-2019-6-9(85)/2017 dated. 05 December, 2019.

NOTIFICATION

No- 26/2019/ 1675 / XVII-MA-2019-6-9(85)/2017
Lucknow: Dated: 05 December, 2019

WHEREAS notification no.1408/XVII-MA-2019-6-9(85)/2017, dated 24th October, 2019 was issued and published in the Gazette with a view to inviting objections and suggestions with respect to the Uttar Pradesh Fisheries (Development and Control) (Second Amendment) Rules, 2019 as required under sub-section (5) of section 3 of the United Provinces Fisheries Act, 1948 (U.P. Act No.XLV of 1948);

AND WHEREAS no objection or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 3 of the United Provinces Fisheries Act, 1948 (U.P. Act No.XLV of 1948) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Fisheries (Development and Control) Rules, 1954 :-

The Uttar Pradesh Fisheries (Development and Control) (Second Amendment) Rules, 2019

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fisheries (Development and Control) (Second Amendment) Rules, 2019

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Insertion of rule 1-A

2. In the Uttar Pradesh Fisheries (Development and Control) Rules 1954, hereinafter referred to as the said rules, after rule 1 the following rule shall be inserted, namely:-

1-A- Definition: In these rules unless the context otherwise requires:-

(a) "Fisherman/Machhuara/Machhua" means any person who earns

(b) "Matsya Jivi Sahkari Samiti" means the Society which is registered by Registrar Fisheries under Uttar Pradesh Cooperative Societies Act, 1965.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c) "Family of Fisherman" means his or her wife/husband, son (up to the age of 21 years), unmarried daughter, adopted child, dependent parents (mother and father), minor child/ward of son, widow/divorcee daughter who is dependent on him.

(d) "Machhuwa Avas" means the house having been constructed as per standard and area fixed by Central Government or Uttar Pradesh Government for homeless Fisherman (Machhuara).

(e) "Fisherman (Machhuara) Accident" means death of fisherman/Machhuara in any accident, permanently or partially disabled falling under any rules prescribed by Central Government.

(f) "Natural Calamities" means flood, drought, hailstorm, deluge/spate (Ativrasti), fire break and other natural calamities notified by Revenue Department of State of Uttar Pradesh.

(g) "Family living below poverty lines" means family living below the minimum income fixed by the Central Government / State Government for treating below poverty line.

(h) "High-school and Intermediate Examination Pass" means the certificate issued by Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, Central Board of Secondary Education, Council for the Indian School Certificate Examinations or any other Board recognized by the Central Government /State Government.

(i) "University" means a University recognized by University Grants Commission.

(j) "Fund Operating Committee" means the Committee constituted under rule 5 of these rules.

(k) "Concerning amount of fund" means the amount which has been provided/granted by the Central Government/State Government for the welfare of fishermen as well as earned money from interest and dividend.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Insertion of rules 5

3. In the said rules after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:-

5 The Uttar Pradesh Fishermen Welfare Fund

(1) The object of making Uttar Pradesh Fishermen Welfare Fund is to make available financial assistance to fishermen and to the welfare and development programmes for welfare of fishermen.

(2) The Uttar Pradesh Fishermen Welfare Fund would operate for fishermen and Machhuara of all districts of the State of Uttar Pradesh. For fulfillment of its objectives, works would be executed by employees of Fisheries Department, Uttar Pradesh and Uttar Pradesh Fishermen Co-operative Federation Limited. The Headquarter of this Fund would be at Fisheries Directorate, 7-Faizabad Road Babuganj, Lucknow.

(3) Assistance would be granted from this fund for the following items -

(a) establishment of infrastructure facilities in Fishermen (Machhuaras) dominated villages that also includes construction of community hall;

(b) to provide financial assistance to fishermen/Machhua family in the event of any damage occurred by natural calamities;

(c) marriage assistance;

(d) assistance for education (coaching, progression of skill, scholarship etc.);

(e) medical assistance;

(f) old age assistance;

(g) machhua avas construction assistance apart from Central Government on the standards fixed by them;

(h) expenditure upto two percent of total fund on the training/visit of fishermen/Machhua for providing higher technical knowledge, arrangement of inter state visit, skill development, exhibition and seminars;

(i) empowerment of women of fishermen/Machhua families;

(j) to provide facility of net for catching fish/equipments and make available Moped ice box etc. for selling of fish;

(k) subvention of interest for fisheries short term and long term bank loans/ Fishermen credit card. Subvention rates will be as per decision of State Government of Uttar Pradesh;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(l) electricity subsidy for aquaculture activities;

No additional amount would be provided beyond the standards prescribed by Central Government /State Government. The establishment of infrastructure facilities would be executed after obtaining the financial sanctions by the competent authority up to the estimated limit submitted by any authorized government agency as per the Public Works Department schedule of rates.

(4) The following would be Financial Sources of this fund;-

(a) Departmental Budget received from the State Government and the financial assistance from the Central Government or any other organization or body;

(b) Self-contributory fund received from Public Undertakings of Central/State Government and all nationalized banks;

(c) Interest received on fund/dividend's/Bonus amount;

(d) Amount received through charity/donation;

(e) Nidhi /amount received under different schemes, programs and policies of State Government / Central Government.

(5) The arrangement and operation of Uttar Pradesh Fishermen Welfare Fund would be done by the Managing Committee. The Managing Committee would be as follows:-

(a) Agriculture Production Commissioner	Chairman
(b) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Fisheries	Vice Chairman
(c) Director, Fisheries	Member Secretary
(d) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary /Secretary, Finance Department or officer nominated by him	Member
(e) Chief Engineer or Executive Engineer of Public Works Department nominated by Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary of Public Works Department	Member
(f) Managing Director, Uttar Pradesh Matsya Vikas Nigam Limited, Lucknow.	Member
(g) Managing Director, Uttar Pradesh Matsya Jivi Sahkari Sangh Limited, Lucknow	Member

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(h) Finance and Accounts Officer,

Fisheries Directorate Member and Treasurer

(6) The managing Committee will take the decision on the following functions:-

(a) The determination of amount of item-wise financial assistance from Welfare Fund;

(b) The annual activities which will be operated;

(c) Approval of eligibility of beneficiaries and their names;

(d) The sanction of relief/assistance from this fund on new programs for welfare of Fishermen/Machhua;

(e) Decision on the investment amount of fund;

(f) Standardization of programmes which are operating from the assistance of fund;

(g) Decision on dovetailing for the assistance of this fund with any other scheme of Central/State Government;

(h) Decision on expenditure for advertising and extension of the fund from interest earned from the fund.

(7) The quorum of meeting would be fifty percent members apart from the Chairman of Managing Committee. The meeting of Managing Committee would be convened at least twice in a year. In special circumstances the same shall be convened at any time. The period of notice of meeting would be seven days whereas in the event of emergent situation the period of notice would be three days.

(8) Chairman of Managing Committee would have power to release amount of relief by declaring financial assistance in emergent situation as per the provisions contained under the Fund and sanction of which would be approved in the next meeting of Managing Committee. The State Government would have power to double the amount of assistance received from this fund for any activity.

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) Under special circumstances, the sub-committee under the Chairmanship of Principal Secretary, Fisheries Department would be as follows ;

(1)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Fisheries	Chairman
(2)	Director, Fisheries	Member Secretary
(3)	Joint Director, Fisheries	Member
(4)	Finance and Accounts Officer, Fisheries Directorate	Member

,

(10) The meeting of sub-committee may be called at any time in emergency, but it is necessary to take post facto approval of managing committee on the decision taken by sub-committee.

(11) The power to give financial sanction up to the approved limit of amount granted by Managing Committee and sub-committee would be vested in Director Fisheries under the powers delegated to Head of Department according to the Financial Hand Book Volume I and upto the finacial sanction limit as provided by the State Government orders issued from time to time and power to all financial sanction beyond that limit would be vested in Administrative Department of Uttar Pradesh Government.

(12) Any fishermen/Machhua would get relief only once from one scheme of State Government or Central Government.

(13) For getting assistance from aforesaid fund, application completed in all respect would be submitted to District Magistrate on the prescribed format. After verifying the application, all the formalities would be completed by the fisheries department within one month from the date, the application is received in the department. Eligibility criteria of beneficiaries would be made applicable as per the prescribed eligibility conditions fixed by Revenue Department/ Backward Welfare Department/Social Welfare Department of Uttar Pradesh Government, under Blue Revolution Integrated Development & Management of Fisheries Scheme of Central Government from time to time.

(14) In case the State Government finds that any person is getting assistance by concealing any fact or by fraud then the recovery shall be done as land revenue in accordance with the provision of the Civil Procedure Code.

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) Accounts of Fund would be maintained regularly and audited by the Department and Auditor General.

(16) An annual report would be sent to the State Government within six months from the beginning of a calender year in which the list of number of beneficiaries having obtained financial assistance under different schemes as well as scheme-wise and audited details of accounts would be made available.

(17) Accounts would be opened in Nationalized Bank/Post-office as per requirements with the permission of Finance Department, Uttar Pradesh Government. The account would be operated jointly by Director, Fisheries and Finance and Account Officer, Fisheries Directorate. Rupees One Crore would remain deposited in the account opened for providing immediate relief in emergent situation. The interest received on deposited money obtained from other sources would be utilized for activities of fund after sanction of Managing Committee.

(18) Twenty five percent amount of received grant from State Government in every year would be deposited in the account of Bank/Post-office of "Rakshit Nidhi" so that in the event of non-receipt of government grant in future, activities of the Fund would be operated from its interest.

(19) Financial Power of Fund would be vested in Director, Fisheries.

(20) For proper maintenance of the Fund a unit would be established in Fisheries Directorate and posting of employees/staff would be made by Director, Fisheries who would execute the works of the unit simultaneously with their works. The following personnel would be posted in the unit:-

(a)	Deputy Director, Fisheries	01
(b)	Assistant Director, Fisheries, Directorate	01
(c)	Assistant Accounts officer, Directorate	01
(d)	Additional Statistics Officer, Directorate	01
(e)	Fisheries Inspector or Fisheries Development Officer	01
(f)	Senior Assistant	01
(g)	Junior Assistant	01
(h)	Computer Operator	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(21) The payment of pay/honorarium to contractual employees engaged from Service Provider would be done from the interest received from deposit fund.

By order,
B. L. Meena
Principal Secretary.

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।